प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.09.2026

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 08 वर्षीय नावालिग बच्ची को अपने साथ ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.09.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 16.09.2026 को वादिया की 08 बर्षीय नावालिग बेटी को आजद पुत्र नौशाद जो गली नं0-03 में रहता है। अपने साथ ले गया। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट, व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र गुमान सिंह यादव निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा हाल पता कब्रिस्तान के पास रोहित का किराये का मकान पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को आज दिनांक 19.09.2026 को अभियुक्त राजेन्द्र यादव के मसकन ग्राम सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया व बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त आजाद पुत्र नौशाद की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र यादव से पूछताछ करने पर बताया कि आजाद को मै काफी समय से जानता हूँ, आजाद दिनांक 16.09.2026 को 08 बर्षीय नावालिग बच्ची को वादिया के घर से ले आया था। आजाद ने बच्ची को पप्पू कालोनी कब्रिस्तान के पास मुझे दे दिया था। जिसे में अपने ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा उ0प्र0 लेकर आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- राजेन्द्र यादव पुत्र गुमान सिंह यादव उम्र करीब **24** वर्ष निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा हाल पता कब्रिस्तान के पास रोहित का किराये का मकान पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन कमि**0** गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
- अभियुक्त आजाद पुत्र नौशाद **(फरार)**

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उक्त 01 अभियोग पजीकृत है। शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

08 बर्षीय नावालिग बच्ची सकुशल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपने साथ ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.09.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 16.09.2026 को वादिया की 08 बर्षीय नाबालिग बेटी को आजद पुत्र नौशाद जो गली नं0-03 में रहता

है, अपने साथ ले गया है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र गुमान सिंह यादव निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा हाल पता कब्रिस्तान के पास रोहित का किराये का मकान पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 19.09.2026 को उसी के मकान ग्राम सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया कर बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था।

नामजद अभियुक्त आजाद पुत्र नौशाद की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी था। जिसे आज दिनांक 20.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त आजाद पुत्र नौशाद को निवासी गली नं**0 3** पप्पू कालोनी शालीमार गार्डन उम्र करीब 30 वर्ष को गंदा नाला एक्सटेंशन प्रथम शालीमार गार्डन गाजियाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आजाद से पूछताछ करने पर बताया कि मेरी राजेन्द्र यादव से अच्छी जान पहचान थी। मैंने लालच में आकर 08 बर्षीय नाबालिग बच्ची को उसके घर से अपने साथ ले आया और मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने दोस्त राजेन्द्र को दे दी थी जिसे वह अपने साथ लेकर महोबा ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- आजाद पुत्र नौशाद निवासी गली नं**0 3** पप्पू कालोनी शालीमार गार्डन उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त आजाद पुत्र नौशाद के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उक्त 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.09.2026 की रात्रि को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. अभिषेक राघव उर्फ कृष पुत्र श्री राजीव राघव निवासी गली नं0- 09, डी- ब्लांक जेल रोड़ हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ग्राम हसनपुर बारू थाना सादाबाद जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष, 2. सुहैल उर्फ सोहेल उर्फ हबड़ू पुत्र जमील निवासी फ्लैट नं0- 292 तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को कोयल एन्कलेव सेल्फी पाईट चौकी तुलसी निकेतन से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द धारा 317(2)/317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक राघव उर्फ कृष व सुहैल उर्फ सोहेल उर्फ हबड़ू के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक राघव उर्फ कृष व सुहैल उर्फ सोहेल उर्फ हबड़ू से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मोटर साइकिल को हम दोनों ने मिलकर करीब 15-16 दिन पहले लोनी गोल चक्कर पैट्रोल पम्प दिल्ली से चोरी किया था। उक्त मोटर साइकिल को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में कोयल एन्कलेव सेल्फी पाईट चौकी तुलसीनिकेतन के आस पास घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अभिषेक राघव उर्फ कृष पुत्र श्री राजीव राघव निवासी गली न- 09, डी- ब्लांक जेल रोड़ हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ग्राम हसनपुर बारू थाना सादाबाद जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष।
2. सुहैल उर्फ सोहेल उर्फ हबड़ू पुत्र जमील निवासी फ्लैट नं0 292 तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक राघव उर्फ कृष व सुहैल उर्फ सोहेल उर्फ हबड़ू के विरुद्ध थाना टीलमोड़ पर उक्त 01 अभियोग व थाना ज्योति नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 2 मोटर साइकिल (स्पलेन्डर प्लस) बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 19.09.2026 को वादी भूरे सिंह पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी बसीटा मजरा लहरा नगला श्याम जनपद सम्भल ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल रजि0 न0- UP38AD7997 को चोरी कर ले जाने के संबध में तथा दिनांक 23.07.2026 को वादी श्री रूपेश पुत्र स्व0 मिथलेश निवासी पिथनापुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्लस रंग नीला काला रजिस्ट्रैशन न0- UP76AR5092 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। घटना के सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 20.09.2026 को 1. अमन पुत्र राजपाल हाल निवासी ग्राम महरौली थाना वेवसिटी गाजियाबाद मूल निवासी सराय राघव थाना पाली जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष 2. जितेन्द्र उर्फ बट्टन पुत्र धीर सिंह निवासी राशन वाली गली जोहड के पास महरौली थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 37 को मुखर्जी पार्क के पास चौकी औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

दोनो अभियुक्तगण से बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनो ने यह मोटरसाइकिल नंबर UP38AD7997 दिनांक 17/09/26 को लैण्डक्राफ्ट सोसायटी से चोरी की थी। दूसरी मोटर

मोटसाइकिल जिस पर नम्बर नही है के बारे में अभियुक्तगणों नें बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने लगभग दो महीने पहले मुखर्जी पार्क के पास से चोरी की थी साहब हम नशे के आदी है तथा अपने खर्चे की पूर्ति के लिये चोरी करते हैं। आज हम इन्हे बेचने की फिराक में थे कि आपने हमे पकड लिया।

अभियुक्त का नाम पता-

- अमन पुत्र राजपाल हाल निवासी ग्राम महरौली थाना वेवसिटी गाजियाबाद मूल निवासी सराय राघव थाना पाली जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष
- जितेन्द्र उर्फ बट्टन पुत्र धीर सिंह निवासी राशन वाली गली जोहड के पास महरौली थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी

- 02 मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजि0नं0- UP38AD7997, UP76AR5092

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण मौ0 तैय्यब पुत्र मौ0 तकी तथा नेक मौहम्मद पुत्र मौ0 सलीम द्वारा वादी के प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा- 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. मौ0 तैय्यब पुत्र मौ0 तकी 2. नेक मौहम्मद पुत्र मौ0 सलीम को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त नेक मौहम्मद ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने सुधीर एन्कलेव C1 लोनी गाजियाबाद में स्थित एक प्लॉट के अपने दोस्त मौ0 तैय्यब के साथ मिलकर धोखाधडी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लोन लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. मौ0 तैय्यब पुत्र मौ0 तकी निवासी हैयात एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल पता- ग्राम वैट थाना सिम्भावली जिला हापुड़, उम्र करीब 55 वर्ष
2. नेक मौहम्मद पुत्र मौ0 सलीम निवासी शास्त्रीपार्क दिल्ली -53 हाल पता- सुधीर एनक्लेव थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 52 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में अभियुक्त नेक मौहम्मद के विरुद्ध बिजली के अवैध उपयोग से संबंधित धारा-138 (विद्युत अधिनियम 2003) में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD

सेवा, सुरक्षा, समर्पण

प्रेस नोट दिनांक 20.09.2026

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर पुलिस और समाज के बीच मजबूत सहभागिता

"MVF (महिला वालंटियर फोर्स)" सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को मिला अपनी बात रखने और समाधान से जुड़ने का मंच

आज दिनांक 20.09.2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद की गरिमामयी उपस्थिति में थाना नन्दग्राम क्षेत्र स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को लेकर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा **"महिला वालंटियर फोर्स (Mahila Volunteer Force–MVF)"** पहल को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने की दिशा में **"MVF सम्मेलन"** का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य **महिलाओं से सीधे संवाद** स्थापित कर उनकी समस्याओं, अनुभवों एवं सुझावों को समझना तथा **महिला सुरक्षा के लिए पुलिस एवं समाज के बीच सहभागिता** को और मजबूत करना है। सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त, समस्त अपर पुलिस उपायुक्त एवं समस्त सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस पहल के अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में **सक्रिय एवं जागरूक महिलाओं को MVF से जोड़ा** जा रहा है। डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिकाएं, समाजसेवी, काउंसलर, उद्यमी, गृहिणियां तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर अपने-अपने क्षेत्र में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करेंगी।

MVF सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य:-

- महिलाओं को अपनी **समस्याओं, अनुभवों एवं सुझावों** को सीधे साझा करने के लिए एक **प्रभावी मंच** उपलब्ध कराना।
- **महिला सुरक्षा** से जुड़े स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उन्हें **पुलिस के संज्ञान** में लाने की व्यवस्था को मजबूत करना।
- **महिलाओं एवं बालिकाओं** को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध पुलिस एवं सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना।
- **साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न, सोशल मीडिया** के सुरक्षित उपयोग एवं **डिजिटल सुरक्षा** के प्रति महिलाओं को जागरूक करना।
- आवश्यकता के समय महिलाओं को संबंधित पुलिस इकाई, काउंसलिंग एवं अन्य सहायता तंत्र से जोड़ने में सहयोग करना।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में **महिला एवं बालिका सुरक्षा** से संबंधित जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- समाज में **महिलाओं की सुरक्षा** को लेकर **सामूहिक जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता की भावना** को मजबूत करना।
- **पुलिस एवं महिला वालंटियर्स के बीच नियमित संवाद** एवं समन्वय स्थापित कर **Police–Community Partnership** को और प्रभावी बनाना ।

स्थानीय स्तर पर महिलाओं की आवाज बनेगा MVF नेटवर्क

कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से **"MVF (महिला वालंटियर फोर्स)"** के लिए चिन्हित की गई **महिला वालंटियर्स अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं से संवाद** स्थापित करेंगी तथा स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली **सुरक्षा संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पुलिस तक पहुंचाने** में सहयोग करेंगी।

महिला सुरक्षा के साथ साइबर जागरूकता पर भी विशेष जोर

वर्तमान डिजिटल परिवेश में **महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना भी महिला सुरक्षा** का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में **MVF** के माध्यम से **महिलाओं को साइबर ठगी, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन उत्पीड़न, निजी जानकारी** के दुरुपयोग एवं अन्य डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस का उद्देश्य है कि महिलाओं की समस्याओं को केवल घटना के बाद पुलिस तक पहुंचाने के बजाय **समुदाय के स्तर पर जागरूकता, संवाद एवं सहयोग के माध्यम से सुरक्षा का वातावरण पहले से मजबूत किया जाए।**

MVF सम्मेलन इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **"सुरक्षित महिला–सशक्त समाज"** की संकल्पना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

"बात उसकी, बदलाव सबका"

महिला सुरक्षा के लिए पुलिस और समाज के बीच विश्वास, संवाद एवं सहभागिता को मजबूत करते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा MVF नेटवर्क को आगे भी निरंतर विस्तार दिया जाएगा।

महिला वालंटियर कमिश्नरेट गाजियाबाद		
क्र0 सं0	**थाना**	**संख्या**
1	कोतवाली नगर	27
2	विजयनगर	42
3	कविनगर	20
4	सिहानी गेट	26
5	नंदग्राम	25
6	मधुबन बापूधाम	25
7	वेवसिटी	26
8	क्रॉसिंग रिपब्लिक	26
9	इंदिरापुरम	25
10	खोड़ा	14
11	साहिबाबाद	21
12	लिंक रोड	26
13	टीलामोड़	39
14	कौशांबी	21
15	शालीमार गार्डन	25
16	लोनी	25
17	ट्रोनिका सिटी	20
18	लोनी बॉर्डर	20
19	अंकुर विहार	25
20	मोदीनगर	22
21	भोजपुर	25
22	निवाड़ी	16
23	मुरादनगर	25
24	मसूरी	25
	योग	**591**